

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 73/2023

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
पूरणकंवर पत्नी नरपतदान जाति चारण, निवासी देवलपुरा (आरंग) तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मूलदान पुत्र देवीदान 2. नखतदान पुत्र देवीदान जाति चारण, निवासी देवलपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. भगोदेदवी पत्नी मांगीलाल जाति दर्जी, निवासी देवलपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. सुगनकंवर पुत्री देवीदान पत्नी आसुदान जाति चारण, निवासी बारहठों की ढाणी, भीयाड़ तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू 6. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादीनी - श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 23.08.2024

वादीनी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल आरंग के ग्राम देवलपुरा के खेत खसरा नम्बर 231/55 रकबा 33.8560 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारानु के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	पूरणकंवर पत्नी नरपतदान कौम चारण सा. देह खातेदार रहन RMGB शाखा भीयाड़	देवलपुरा	231/55	1.9425	बा.चा.	-	गुलाबी
2	नखतदान पुत्र देवीदान 1515/3943 मूलदान पुत्र देवीदान 378/3943 सुगनकंवर पुत्री देवीदान 1810/3943 कौम चारण, सा. देह खातेदार भागोदवी पत्नी मांगीलाल 240/3943 कौम दर्जी, सा. देह खातेदार रहन नखतदान का हिस्सा PNB शाखा उण्डू	देवलपुरा	231/55	31.9135	बा.चा.	-	सफेद

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

21
सहायक कलक्टर
(SBO) शिव

21
सहायक कलक्टर
(SBO) शिव